

कार्यालय: महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उडनदस्ता अधिकारी,
आई0एस0बी0टी0-दिल्ली

क्रमांक 462-63 / टी0आई-3

दिनांक 19-9-2014

विषय

Ban on use of mobile phone while driving motor vehicles.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 12231-50 / टी0आई0-3 / दिनांक 19.08.2009 के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि ड्राइविंग करते समय कोई भी चालक मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करेगा ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। उक्त बारे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अभी भी कुछ चालक ड्राइविंग के दौरान मोबाईल फोन पर बातचीत करते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अतः सभी चालकों को पुनः निर्देशित करें कि वह ड्राइविंग के दौरान मोबाईल फोन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। दोषी चालकों के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही अनल में लाई जाए।

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़

19/9/14